"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 638] नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 अगस्त 2025 — श्रावण 16, शक 1947

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 अगस्त 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 15–11/15–02/2025/11/1892. – छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16–ग की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये ''जिला मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025'' विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15–11/15–02/2025/11/1102 दिनांक 02–04–2025 जारी की गई थी।

(2) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2025 के अनुपालन में पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा परीक्षण उपरांत ''प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025'' के क्रियान्वयन हेतु अनुसूची–एक, दो एवं तीन प्रस्तुत किया है।

(3) अतएव विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2025 की कंडिका 05–(छ) के अनुसरण में, राज्य शासन एतद् द्वारा, जिला मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित अनुसूची–एक, दो एवं तीन को जारी करता है। संबंधित सदस्य/व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार अपना अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति, सचिव, छत्तीसगढ़ भाासन, सहकारिता विभाग को संबोधित करते हुए ''कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़, विभागाध्यक्ष कार्यालय, ब्लॉक–बी, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन–492002'' में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 22.08.2025 तक प्रस्तुत कर सकेगें। लिफाफे के ऊपर ''जिला मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन हेतु अभ्यावेदन/दावा या आपत्ति'' अंकित किया जावे। निर्धारित दिनांक के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। अभ्यावेदनों, दावा या आपत्ति पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा, जो सभी पक्षो पर बंधनकारी होगा।

(4) प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर, ''जिला मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी,, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025'' की अनुसूची–एक, दो एवं तीन का अंतिम प्रकाशन कर, पुनर्गठन योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

संलग्न :– अनुसूची–एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.आर. प्रसन्ना, सचिव.

जिला–मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025

अनुसूची – एक

संबंद्ध बैंक : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित हैं (प्रभावित सोसाइटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा हैं (परिणामी सोसाइटी)
1	2	3	4
1	अं. चौकी	तेलीटोला, ब्राम्हणभेड़ी, किलारगोंदी, गुण्डरदेही	ढ़ाढूटोला

जिला–मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025

अनुसूची – दो

संबद्ध बैंक — जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित हैं (प्रभावित सोसाइटी)	नवीन सोसायटी	नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
1	2	3	4
1	मोहला	कनेरी	कनेरी, कहाड़कसा, पुजारीटोला, राजाडेरा, कंदाड़ी, उमरपाल, रामगढ़, परवीडीह, पारडी, जंगलटोला, कातुलझोला।
2	भोजटोला	वासड़ी	वासड़ी, बंजारी, छुरियाडोंगरी, पाटनखास, भुरकुण्डी, पथरेल, तोयागोंदी, पाटनवाड़वी, खुनेरा, एहोड़ा, साल्हे, टेमली, मरकाटोला, धनेगांव, पांडरवानी, अं. डंडासूर, गोटाटोला, करमरी, नाटीपार, देहले, कुरूभट्ठी, नरसूटोला।
3	रेंगाकठेरा	माडिंगपिड़िंग भुर्सा	विजयपुर, तेंदूटोला, गुहाटोला, माडिंगपिड़िंग भुर्सा, पाउरखेड़ा, कटेंगाटोला, मुनगाडीह, मरकामटोला।
4	सोमाटोला	पुतरगोंदी कला	पुतरगोंदीखुर्द, पुतरगोंदीकला, कट्टापार, जोबटोला, पदगोंदी, कोड़ेमरा, साल्हेजल्हल, डुमरटोला, हलामीटोला, रायसिंहसाल्हे, जिर्राटोला, मोतिपुर, बोदाल।
5	गोटाटोला	आलकन्हार	रानाटोला, डोकलकोंडे, आलकन्हार, कोरवा, चापाटोला, भालापुर।
6	मटेवा	कुम्हली	कुम्हली, बिरसिंगटोला, अड़मागोंदी, परसुटोला, मरापीटोला, बावडूटोला, मुकादाह, मुचर।
7	मानपुर	टोहे	नेड़गांव, मरकेली, मिचगांव, कोण्डे, कोतरी, एड़कोड़, टोहे, घोटिया, तुमड़ीकसा, सरोली, रानवाही, परालझरी।
8	भर्रीटोला	भावसा	भावसा, कोरलदण्ड, चवेला, साल्हे, ढोढरी, कोण्डे, गोटुलमुडा, घोटिया, मासुल, वासड़ी।
9	खरदी	दिघवाड़ी	डोकला, मांडरी, वाको, दिघवाड़ी, एटेगर्दा।

10	औधी	सरखेड़ा	सरखेडा, मोरचुल, मेंढाखुर्द, गटटेपायली, हालेपायली, नवागांव, बालेर, घोडाझरी, पेंदोडी, शारदा, निडेली, तोडके, मुंदेली, आमपायली।
11	सीतागाँव	कंदाड़ी	कंदाड़ी, मुरझर, हलोरा, बड़मा, पिटेमेटा, आमाकोड़ो, कोहका, बेलगाँव, रनवाही, कांडे, कोंडाल, कोरकोट्टी, हनईकलकला
12	अं. चौंकी	गौलीटोला	गौलीटोला, घोरदा, मेटेपार, खुर्सीटिकुल, पंडरीतराई, बिहरीकला, बिहरीखुर्द
13	आतरगांव	आड़ेझर	आडेझर, करमतरा, खुर्सीटिकुल, कुम्हली, गोपलिनचुवा, बागनारा, भुरभुसी
14	छछानपाहरी	दाउटोला	आटरा, बरारमुंडी, दाउटोला
15	ढाढूटोला	चिखली	खुर्सीपार, मालडोंगरी, भर्रीटोला, चिखली, सोनसायटोला, केकतीटोला
16	आमाटोला	रेंगाकठेरा	हज्जूटोला, तिरपेमेटा, दुवालगुंडरा, रेंगाकठेरा, जरहाटोला, लाताकोडो, मक्के, डोंगरगांव
17	कौड़ीकसा	अरजकुण्ड	अरजकुण्ड, नेतामटोला, पटेली, देववाड़वी, पर्रेमेटा, तुमड़ीकसा, हलामीटोला, बेलरगोंदी, भर्रीटोला, भण्डारीटोला
18	चिल्हाटी	कोरचाटोला	कोरचाटोला, पेंदलकुही, निगनचुवा, खुर्सीटिकुल, कुसुमकसा, साल्हेकुसुमकसा
19	विचारपुर	मुड़पार	डुमरघुंचा, बोगाटोला, मुडपार, हेमलकोहडो

जिला–मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025

अनुसूची – तीन

संबंद्ध बैंक : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव

क्र.	विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित हैं (प्रभावित क्षेत्र)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्राम का नाम)	विद्यमान सोसाइटी जिसके अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा हैं (परिणामी सोसाइटी)	नवीन सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुडा है
1	2	3	4	5
1	निरंक			

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मद्रित तथा प्रकाशित – 2025.